भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 498

उत्तर देने की तारीख : 28.11.2024

एमएसएमई पर एनपीए का प्रभाव

498. श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मुद्रा ऋण योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के कर्जदारों के मामलों में गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) एमएसएमई को प्रदान की जा रही विशिष्ट सहायता अथवा परामर्शी सेवाओं का ब्यौरा जिससे उनके ऋण को गैर-निष्पादित आस्तियां बनने से रोका जा सके;

(ग) क्या मुद्रा ऋणों से जुड़ी गैर-निष्पादित आस्तियों में कमी का देश में एमएसएमई की वृद्धि और विकास पर कोई प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, क्या राज्य-वार गैर-निष्पादित आस्तियों और एमएसएमई के विकास के बीच के संबंध पर आन्ध्र प्रदेश सहित कोई अध्ययन कराया गया है अथवा रिपोर्ट तैयार की गई है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क) : वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सितम्बर, 2024 तक संवितरित क्रेडिट के प्रतिशत के रूप में समग्र गैर-निष्पादित आस्तियां(एनपीए) 2.20 प्रतिशत था।

(ख) से (घ) : एमएसएमई ऋणों को एनपीए में परिवर्तित होने से रोकने के लिए निम्न पहलें की गई हैं :

- प्रारंभिक चरण में एमएसएमई खातों में दबाव को दूर करने और उनके पुनरुद्धार को सुविधाजनक बनाने के लिए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने 29 मई, 2015 के अपने राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से, 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए फ्रेमवर्क' (एमएसएमई के लिए एफआरआर) को अधिसूचित किया। राजपत्र अधिसूचना के अनुक्रम में, आरबीआई ने अपने परिपत्र संख्या.आरबीआई/2015-16/338एफआईडीडी.एमएसएमई एवं एनएफएस.बीसी.सं.21/06.02.31/2015-16 दिनांक 17.03.2016 के माध्यम से निर्देश जारी किए।
- आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) को मई, 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था ताकि पात्र एमएसएमई और व्यावसायिक उद्यमों को उनकी परिचालन देनदारियों को पूरा करने और कोविड-19 महामारी के कारण हुए व्यवधान के संबंध में अपने व्यवसायों को पुन:व्यवस्थित करने में सहायता मिल सके। यह स्कीम 31.03.2023 तक संचालन में थी। ईसीएलजीएस पर भारतीय स्टेट बैंक की दिनांक 23.1.2023 की अनुसंधान रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 14.6 लाख एमएसएमई खाते, जिनमें से लगभग 98.3 प्रतिशत खाते सूक्ष्म और लघु उद्यम श्रेणियों में थे, बचाए गए। ईसीएलजीएस के कारण लगभग 12 प्रतिशत बकाया एमएसएमई ऋण को एनपीए श्रेणी में जाने से बचाया गया।
- केंद्रीय बजट 2024-25 में संकट की अवधि के दौरान एमएसएमई के लिए निरंतर बैंक ऋण सुनिश्चित करने के लिए एक नई व्यवस्था की घोषणा की गई, विशेष रूप से तब जब वे अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण विशेष उल्लेख खातों में हों। इस सहायता का उद्देश्य एमएसएमई को परिचालन में बनाए रखने और एनपीए स्थिति में जाने से बचाने में सहायता करना है।
- एनपीए स्तर और एमएसएमई वृद्धि के बीच राज्य-वार सहसंबंध के संबंध में कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

******